श्री महेन्द्र कुमार, सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–05.01.2026 (सोमवार) को पूर्वाह्न 09.30 बजे संपन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग।
2. श्री रवीन्द्र नाथ चौधरी, निदेशक, बि0रा0खे0प्रा0, पटना।
3. श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, खेल विभाग।
4. श्री हिमांशु कुमार, उप निदेशक, बि0रा0खे0प्रा0, पटना।
5. श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
6. श्री अजय कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
7. श्रीमती नूपुर झा, उप निदेशक, खेल विभाग।
8. श्री भागीरथ प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल निदेशालय।
9. श्री रंजन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
10. श्री सपज्ञा ओमीड, सहायक निदेशक (योजना), खेल विभाग।
11. श्री नरेश कुमार चौहान, सहायक निदेशक (युवा), खेल विभाग।
12. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा), खेल विभाग।

कार्यवाही

(1) आगामी योजनाएँ

(i) माननीय मुख्यमंत्री के निदेश के आलोक में सात निश्चय–03 योजना **2025–2030** के अन्तर्गतः–

(क) पटना में खेल सिटी का निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई दिसम्बर–2026 तक किया जाना है।

पटना में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स सिटी में क्या–क्या सुविधा (Facility) उपलब्ध करायी जाय इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर की संचिका का अध्ययन कर, इसके आलोक में संचिका उपस्थापित किया जाय।

तदोपरांत सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को माह मार्च, 2026 तक वास्तुविदीय नक्शा उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ख) वर्ष 2025–26 में मंत्रिमंडल द्वारा 574 करोड़ रुपये भू–अर्जन हेतु स्वीकृति दी गई है। जिसमें ₹144 करोड़ का भुगतान समाहर्ता, पटना को कराने का आदेश निर्गत है। उपलब्ध कराये गये राशि का अद्यतन स्थिति समाहर्ता, पटना से प्राप्त करें।

(ii) खेल क्लब के गठन की कार्रवाई 31 जनवरी–2026 तक पूर्ण किया जाना है। फरवरी–2026 तक खेल क्लब को पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर लिया जाय खेल क्लब को आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाय।

(iii) प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में कराये जा रहे निर्माण कार्य एवं प्रमंडल स्तरीय निर्माण कराये जाने वाले खेल अवसंरचनाओं में उत्कृष्टता का केंद्र (Centre of excellence) इस हेतु खेल विधा को चिन्हित करने का निदेश बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दिया गया।

(iv) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अन्तर्गत स्क्रुटनी का कार्य बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा किया जा रहा है। मार्च–2026 तक यथाशीघ्र कार्रवाई पूर्ण करने का निदेश बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दिया गया।

(v) <u>राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करनाः–</u>

विगत वर्ष राज्य अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।

- राज्य में महिला एशियन हॉकी प्रतियोगिता–2024, सेपकटाकरा विश्व कप–2025, पुरूष एशियन हॉकी प्रतियोगिता–2025, खेलो इंडिया यूथ

गेम्स–2025 एवं एशिया रग्बी (अंडर–20) चैम्पियनशिप–2025 आदि का सफल आयोजन किया जा चुका है।

- खिलाड़ियों के प्रतिभा के विकास हेतु ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर (OTC) का स्थापना।
- आगामी वर्षो में निम्नांकित खेल का आयोजन प्रस्तावित है:–
- वर्ष–2026 में एफ०आई०एच० हॉकी प्री० लीग।
- वर्ष–2028 में नेशनल यूथ गेम्स।
- वर्ष–2030 में विश्व कप हॉकी एवं राष्ट्रमंडल खेल।

प्रत्येक जिला में जो प्रखंड स्तरीय स्टेडियम एवं अन्य खेल अवसंरचना बना हुआ है। उसमें से कम–से–कम दो जो प्रशिक्षण हेतु अच्छी स्थिति में हो उसकी सूची तैयार कर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से विमर्श करते हुए दिनांक–12.01.2026 (सोमवार) पी0पी0टी0 तैयार करने का निदेश दिया गया। इस कार्य का अनुश्रवण श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा) द्वारा किया जायेगा।

2. **(i)** पंचायत स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय स्टेडियम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टेडियम के देख–रेख हेतु एक सफाईकर्मी की प्रतिनियुक्ति हेतु कार्रवाई की जाय।

उपर्युक्त के संबंध में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना एवं सचिव, पंचायती राज विभाग, पटना को विस्तृत रूप में कंडिकावार सूची के साथ पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ii) राज्य में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों/खिलाड़ियों को चिन्हित करने की कार्रवाई किया जाय ताकि योग्य प्रशिक्षकों/खिलाड़ियों को समुचित प्रशिक्षण हेतु विश्वस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र भेजा जा सके।

निर्मित आउटडोर स्टेडियम के उस क्षेत्र में प्रशिक्षित खेल विधाओं में प्रशिक्षण आरंभ करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा) को निदेश दिया गया।

(3) प्राथमिकताएँ

(i) विपत्रों का ससमय भुगतान

विपत्रों का ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाय तथा प्रशाखा पदाधिकारी–02 एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/उच्चवर्गीय लिपिक द्वारा प्रत्येक सप्ताह प्रमाण पत्र दिया जाय कि कोई भी विपत्र भुगतान हेतु लंबित नहीं है। संचिका के माध्यम से इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि सभी का भुगतान हो चुका है।

(ii) आवंटन

(क) सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि प्रशाखा पदाधिकारी–02 द्वारा बजट उपबंध के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, राज्य खेल अकादमी, राजगीर, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराये गये स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश सूची तैयार कर संबंधित से उपयोगिता प्रमाण–पत्र की मांग की जाय।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को विगत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार विभाग के स्तर से पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। उनके द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार प्राप्त करने की कार्रवाई किया जाय तथा CFMS-2 में पी0एल0 खाता के उपयोगिता प्रमाण–पत्र अपलोड करने संबंधी लिंक/प्रावधान किये जाने की कार्रवाई हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखा जाय।

36 आवंटनों में से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा 24 आवंटनों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया है। शेष आवंटनों का

उपयोगिता प्रमाण–पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दिया गया।

(ख) <u>उपयोगिता प्रमाण–पत्र</u>

(1) BTC- 42A (TV NO. and Bill No. के साथ)
(2) चेकलिस्ट
(3) Bill/Voucher की छायाप्रति (अभिप्रमाणित)
(4) स्वीकृत्यादेश की प्रति
(5) आवंटनादेश की प्रति

उपरोक्त सभी संबंधित कागजात के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, राज्य खेल अकादमी, राजगीर, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु कर्णांकित शीर्षों में उपबंधित बजट को सामान्य बजट के अंतर्गत शामिल करने के लिए योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध करने हेतु श्री सपज्ञा ओमीड, सहायक निदेशक (योजना) खेल विभाग को निदेशित किया गया।

उपर्युक्त के संबंध में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(iii) <u>बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से निम्नांकित बिंदुओं पर प्रतिवेदन अपेक्षित है:–</u>

1. विगत वर्षों में आयोजित की गई विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगताओं के लिए जो राशि उपलब्ध कराई गई है। उस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विस्तृत रूप से मदवार एवं एजेंसीवार दी जाय।

2. खेलो इंडिया यूथ गेम्स–2025 में उपलब्ध कराई गई राशि का विस्तृत उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

3. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय और कम से कम 15–16 स्कूल का क्षेत्र भ्रमण कर केन्द्रों के संचालन संबंधी कठिनाईयों का निराकरण कराते हुए प्रशिक्षण सुचारू रूप से आरंभ करने की कार्रवाई की जाय।

एकलव्य के 15 प्रशिक्षण केन्द्रों में कितने प्रशिक्षक एवं कितने छात्र/छात्रा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उसकी सूची केन्द्रवार बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

4. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा उपयोग किये जा रहे खेल प्रशिक्षकों को मासिक भुगतान किया जा रहा है, परन्तु उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। उसका आकलन नहीं है। उनको एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्रों में या बिहार राज्य खेल अकादमी, राजगीर में उपयोग में लगाया जाय और एक–एक प्रशिक्षकों के कार्य का आकलन किया जाय। कौन–कौन प्रशिक्षक कहाँ क्या काम कर रहें हैं? उसका लिखित प्रतिवेदन के साथ पी0पी0टी0 के माध्यम से अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

5. खेल क्लबों को कार्यशील करने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

6. भारत सरकार के खेल नीति के अनुरूप राज्य खेल नीति तैयार करने के साथ ही रोड–मैप तैयार करने की भी कार्रवाई बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा शीघ्र की जाय।

(iv) राज्य खेल अकादमी, राजगीर से संबंधित–

(क) राज्य खेल अकादमी, राजगीर में साफ–सफाई, रख–रखाव, स्वच्छता एवं सुरक्षा के संबंध में

दिनांक–10.10.2025 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में राज्य खेल अकादमी, राजगीर के रख–रखाव एवं मेंटेनेंस कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किये जाने का निदेश दिया गया था।

इस हेतु सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के साथ एक बैठक आयोजित किया जाना है। राज्य खेल अकादमी, राजगीर द्वारा इसका कार्य योजना एवं PPT खेल विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के साथ बैठक आयोजित करने हेतु संचिका उपस्थापित किया जाय।

(ख) राज्य खेल अकादमी, राजगीर में पदाधिकारी/कर्मियों के प्रतिनियुक्ति के संबंध में

राज्य खेल अकादमी, राजगीर हेतु एक प्रशाखा पदाधिकारी, एक लेखा पदाधिकारी, उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का प्रतिनियुक्त करना आवश्यक है। इस संबंध में स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(v) MIS Module (App) – पंचायत/प्रखंड/जिला/प्रमंडल स्तरीय एवं अन्य निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं की विवरणी फोटो सहित विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को निदेशित किया गया है। अबतक 5961 खेल अवसंरचनाओं का विवरण जिलों द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

समीक्षा के क्रम में पूर्ण/स्वीकृत/निर्माणाधीन एवं खेलो इंडिया योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार की योजना का पूर्ण विवरण एवं **अद्यतन फोटोग्राफ** भी **प्रत्येक सप्ताह** अपलोड किये जाने का निदेश सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को दिया गया। इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को भी पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

(vi) भू–अर्जन हेतु आवंटन– वर्ष 2025–26 में मंत्रिमंडल द्वारा 574 करोड़ रूपये भू–अर्जन हेतु स्वीकृति दी गई है। जिसमें 144 करोड़ रू0 का भुगतान समाहर्ता, पटना को कराने का आदेश निर्गत है।

सचिव द्वारा पूर्व के बैठक में निदेश दिया गया कि दिनांक–28.01.2026 पूर्वाह्न–10:30 बजे अद्यतन स्थिति के साथ बैठक में उपस्थित होंगे।

(vii) <u>एकलव्य प्रशिक्षण</u> – निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा बताया गया कि सभी जिलों में कुल 64 एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र कार्यशील करना प्रस्तावित है।

सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र के अवसंरचना के निर्माण हेतु विस्तृत प्रतिवेदन के साथ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षिणक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना **(BSEIDC)** एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के साथ बुधवार दिनांक– **07.01.2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे** एक बैठक आयोजित किया जाय।

(4) **<u>नियुक्ति से संबंधित अधियाचना</u>**

पाँच नियुक्ति नियमावली के आलोक में पदों पर नियुक्ति संबंधी अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जा चुकी है। शीघ्र परीक्षा आयोजन हेतु स्मार पत्र भेजा जाय।

(5) **<u>खेलो इंडिया से संबंधित मामले</u>**

खेलो इंडिया यूथ गेम्स–2025 के आयोजन के जिलों यथा– नई दिल्ली, पटना, नालंदा, गया, बेगुसराय एवं भागलपुर को आवंटन दिया जा चुका है। पटना जिला से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जिला पदाधिकारी, पटना को इस संबंध में अर्द्ध–सरकारी पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(6) <u>खेल विधेयक</u>

खेल विधेयक (2025) पर विधिक्षा हेतु संचिका महाधिवक्ता कार्यालय, विधि विभाग, बिहार, पटना से खेल विभाग को प्राप्त हो गया है। कार्य का शीघ्र निष्पादन हेतु अनुश्रवण किया जाय।

(7) **<u>बैठक के संबंध में</u>**

(क) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना एवं राज्य खेल अकादमी, राजगीर के साथ लंबित मामलों का समीक्षा हेतु अगली बैठक **दिनांक–07.01.2026 (बुधवार)** को **पूर्वाह्न 10:00 बजे** आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(ख) बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के साथ बैठक लंबित मामले के संबंध में अगली बैठक **दिनांक– 07.01.2026 (बुधवार)** को **अपराह्न 10:15 बजे** आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(ग) आयुक्त, मनरेगा (VB-G RAM G) के साथ दिनांक–**07.01.2026 (बुधवार) अपराह्न 3:00 बजे** समीक्षात्मक बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया। जिसमें सभी जिलों के उप विकास आयुक्त एवं सभी जिला खेल पदाधिकारी VC के माध्यम से बैठक में उपस्थिति होंगे।

(घ) सचिव महोदय द्वारा हॉकी से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन के साथ परियोजना निदेशक, वुडको **दिनांक–07.01.2026 (बुधवार) अपराह्न 3:30 बजे** समीक्षात्मक बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(8) **<u>सुलभ संगणक</u>**

सभी प्रशाखाओं हेतु तैयार किये गये सुलभ संगणक को सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को उपलब्ध कराया जाय साथ ही इसकी प्रति बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को भी उपलब्ध कराया जाय।

(9) <u>खेल क्लब का गठन</u>– सभी ग्राम/नगर पंचायतों में खेल क्लबों के गठन हेतु शेष रिक्त पदों पर आवेदन प्राप्त करने के लिए पुनः विभागीय पोर्टल दिनांक–11.12.2025 से 31.12.2025 तक खोला गया था। सभी जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक शा0शि0 को शतप्रतिशत गठन हेतु पूर्व में निदेशित किया गया है। संबंधित प्रशाखा को जिलों में खेल क्लब के पदधारकों के चुनाव/चयन का कार्य पूर्ण कराने से संबंधित प्रतिवेदन दिनांक–05.01.2026 प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(10) <u>ग्राम/नगर पंचायत में खेल मैदान का निर्माण</u>

(क) 06 पंचायतों में खेल मैदान चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु 02 जिलों यथा– अरवल (04) एवं गया (02) से प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु जिलों के जिला पदाधिकारियों को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन पंचायत स्तरीय खेल मैदानों का सूची/विवरण प्राप्त किया जाय। जिला खेल पदाधिकारी एवं खेल विभाग के पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु कार्यक्रम बनाने का निदेश दिया गया।

(ग) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा 8053 ग्राम पंचायतों में से 5425 ग्राम पंचायतों में 4770 खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है, शेष 655 पंचायतों में भी खेल मैदान निर्माण कराने हेतु सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

जिलावार, प्रखंडवार एवं पंचायतवार खेल मैदानों की सूची शीघ्र तैयार कर जिला खेल पदाधिकारियों/अधीक्षक/उपाधीक्षक, शा० शि० को भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(11) <u>प्रखण्ड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम निर्माण/जीर्णोद्धार</u>

(क) 198 प्रखण्डों में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाना है। 173 प्रखण्डों में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 25 प्रखण्डों हेतु भूमि

चिन्हित कर प्रस्ताव प्राप्त किया जाना है। जिन प्रखण्डों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, उन प्रखण्डों में आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम के निर्माण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदनः—

क्रं0	जिला	प्रखंडों की संख्या	कार्य पूर्ण	कार्य अपूर्ण	कार्य प्रारंभ नही	निर्माणाधीन /प्रगतिपर	वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत	प्रस्ताव प्राप्त	प्रस्ताव अप्राप्त/ मानक अनुरूप भूमि नहीं
1	38	534	257	10	29	46	77	15	125

(i) राज्य के 231 प्रखंडों में कुल 257 आउटडोर स्टेडियम निर्मित है।

(ii) निर्माणाधीन/प्रगति आउटडोर स्टेडियम की संख्या 46 है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2025–26 में 77 आउटडोर स्टेडियम के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

(iv) 02 आउटडोर स्टेडियम के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन है।

(v) 02 प्रखंडों में दो–दो स्टेडियम निर्माणाधीन है।

(ख) जिन प्रखण्डों में आउटडोर स्टेडियम निर्माणाधीन है, उसके निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को स्मार पत्र लिखा जाय।

(ग) सभी जिलों से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। इसे समेकित करते हुए PPT के माध्यम से अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(12) जिला स्तरीय खेल भवन–सह–व्यायामशाला

(क) 25 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 13 जिलों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है एवं अद्यतन स्थिति से संबंधित सूची विभाग द्वारा तैयार किया जाय।

उपर्युक्त के संबंध में सचिव महोदय द्वारा सभी जिला खेल पदाधिकारी से प्रपत्र के माध्यम से पुनः प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(ख) खेल भवन–सह–व्यायामशाला संचालन के संबंध में विहित प्रपत्र विकसित किया जाय। इस प्रपत्र में सूचना जिला खेल पदाधिकारी से प्राप्त कर, इसकी समीक्षा साप्ताहिक बैठक में PPT के माध्यम से की जाय।

(ग) जिन जिलों में खेल भवन–सह–व्यायामशाला का निर्माण हो चुका है, उन जिलों से निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन प्राप्त करें–

I. खेल भवन–सह–व्यायामशाला खेल विभाग के प्रभार में है या कोई अन्य सामग्री या अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

II. खेल भवन–सह–व्यायामशाला की सुरक्षा, रख–रखाव, साफ–सफाई हेतु कर्मी के संख्या एवं उनके भुगतान की क्या स्थिति है।

III. जिला खेल पदाधिकारी का कार्यालय खेल भवन–सह–व्यायामशाला में अधिष्ठापित है या नहीं।

IV. बिजली भुगतान की क्या स्थिति है।

V. सी0सी0टी0वी0 कैमरा का अधिष्ठापन, जेनरेटर, वाहन, ट्रेनर, वाटर मशीन है या नहीं।

VI. खेल भवन में खेल सामग्री है या नहीं।

VII. इन सभी के संबंध में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हेतु एक प्रपत्र तैयार कर ली जाय।

सी0सी0टी0वी0 कैमरा का अधिष्ठापन का कंट्रोल सेंटर विभाग को दिये जाने का निदेश दिया गया।

उपर्युक्त कार्यों का अनुश्रवण श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव करेंगे।

(13) प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना का निर्माण

प्रमंडल स्तर पर खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु भागलपुर, में सरकारी भूमि चिन्हित कर भूमि हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया है। इस संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करें।

प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु नक्शा उपलब्ध कराने के लिए मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को तैयार कराने का निदेश दिया गया।

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को निदेशित किया गया कि बुधवार को होने वाली समीक्षा बैठक में नक्शा लेकर उपस्थित होगें।

(14) राज्य स्तरीय अवसंरचना निर्माण/जीर्णोद्धार

(i) मोईनुल हक स्टेडियम

सचिव, खेल विभाग की अध्यक्षता में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA), की अगली बैठक दिनांक– **07.01.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10:30** बजे में निर्धारित की गई है। इसकी सूचना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को दिया जाय।

(ii) बी0पी0 सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर पटना का पुर्ननिर्माण

बी0पी0 सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, पटना के पुनर्निर्माण हेतु प्राक्कलन प्राप्त हो चुका है। उक्त संचिका योजना एवं विकास विभाग द्वारा आदर्श आचार संहिता के दौरान खेल विभाग, पटना को वापस किया गया।

(15) बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर

कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर से प्राप्त सभी पत्रों का निष्पादन शीघ्र किया जाय।

विश्वविद्यालय संविधि से संबंधित मामले पर विद्वान महाधिवक्ता के निदेश के आलोक में कार्रवाई की जाय।

(16) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान किये गये घोषणा की अद्यतन स्थिति

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में खेल विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खेल अवसंरचना निर्माण हेतु सभी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त सभी अवसंरचना निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं/कठिनाईयों का शीघ्र निराकरण कराया जाय। साथ ही अवसंरचना निर्माण कार्य का अनुश्रवण किया जाय।

(17) एस.जी.एफ.आई. (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया)

उक्त आयोजन पर होने वाले व्यय की कुल राशि ₹20,00,00,000/- का स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा चुका है। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को अर्द्ध सरकारी पत्र भेजा जाय तथा इसका अनुश्रवण किया जाय।

(18) माननीय सांसद, मंत्री एवं विधायक से निर्माण संबंधित प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई

माननीय सांसद, मंत्री एवं विधायक से निर्माण संबंधित प्राप्त पत्रों का सूची तैयार कर लिया जाय।

(19) जिलों में निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं का निरीक्षण कार्यक्रम

(क) श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव एवं श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी संयुक्त रूप से निरीक्षण हेतु जिलावार क्षेत्र भ्रमण का अगले एक साल का कार्यक्रम (सोमवार एवं बुधवार को छोड़कर) जल्द निर्धारित कर सचिव को अवगत करायेंगे।

(ख) प्रत्येक जिला का भ्रमण सहायक निदेशक (युवा) एवं सहायक निदेशक (क्रीड़ा) द्वारा किया जायेगा। इन दोनों के साथ सहायक अभियंता रहेंगे।

इसके अन्तर्गत सहायक निदेशक (युवा)/सहायक निदेशक (क्रीड़ा) एक दूसरे के अन्तराल पर जायेंगे। निरीक्षण हेतु जिलावार क्षेत्र भ्रमण का अगले एक साल का कार्यक्रम (सोमवार एवं बुधवार को छोड़कर) जल्द निर्धारित कर सचिव को संयुक्त सचिव द्वारा अवगत कराये जाने का निदेश दिया गया।

निरीक्षण निम्न अवसंरचनाओं का करना है:—

1. खेल भवन—सह—व्यायामशाला, भवन
2. मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र
3. मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रखण्ड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम
4. नगर एवं ग्राम पंचायत में निर्मित खेल अवसंरचना
5. प्रमण्डल स्तरीय खेल मैदान
6. इण्डोर स्टेडियम
7. एम0आई0एस0
8. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में घोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
9. संबंधित कार्यालय के कर्मियों की सूची।
10. आवंटन एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र की राशि से संबंधित मामले।

क्षेत्र भ्रमण हेतु आने—जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व स्थापना शाखा द्वारा किया जायेगा।

संबंधित जिला के निरीक्षण किये जाने वाले खेल अवसंरचना की सूची संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए खेल अवसंरचनाओं के कार्यकारी एजेंसी को भी उपस्थित रहने हेतु संबंधित को पत्र भेजे जाने के साथ संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को निरीक्षण से संबंधित सूचना भेजी जाय तथा उनसे सम्पर्क कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश गया।

श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भोजपुर जिला में निरीक्षण के क्रम में खेल भवन—सह—व्यायामशाला के देख—रेख हेतु कर्मियों/खिलाड़ियों की आवश्यकता है।

इस संबंध में सचिव द्वारा प्रत्येक खेल भवन–सह–व्यायामशाला के देख–रेख के लिए एक कर्मियों/खिलाड़ियों प्रतिनियुक्ति किये जाने हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(20) **<u>खेल विभाग की वेबसाईट</u>**

खेल विभाग के वेबसाईट पर विभागीय सूचनाओं को अपलोड करने हेतु निम्नवत् निदेश उप निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क को दिया गया–

(क) मंत्रिमंडल से अनुमोदित संलेखों, संकल्पों, दिशानिर्देशों एवं महत्वपूर्ण पत्रों को आई0टी0 प्रबंधक से विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करायेंगी।

(ख) सुलभ संगणक का विभागीय वेबसाईट पर अलग से प्रतीक (ICON) बनाना।

(ग) विभागीय वेबसाईट को सामान्य प्रशासन विभाग एवं अन्य विभागों के तर्ज पर परिष्कृत करना।

(21) सभी प्रशाखा पदाधिकारी निर्गत महत्वपूर्ण पत्रों, दिशानिर्देशों एवं अधिसूचना आदि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आई0टी0 प्रबंधक को अलग से प्रतिलिपि देंगे।

6/1/2026

(महेन्द्र कुमार)

सचिव।

ज्ञापांक– 1/स्था०–05–06/2024...74.../ पटना/दिनांक–..07..1../2026

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

6/1/2026

सचिव।

ज्ञापांक– 1/स्था०–05–06/2024...74.../ पटना/दिनांक–..07..1../2026

प्रतिलिपिः– कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर/निदेशक (खेल), /निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/आयुक्त मनरेगा, ग्रामीण विकास

विभाग, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/संयुक्त सचिव/उप निदेशक/अवर सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक निदेशक, (क्रीड़ा, युवा, योजना)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, बिहार/ आई0टी0 मैनेजर/सभी संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं कर्मी, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/1/2026

सचिव।